

72



निकरानी-4802/2018/सतना/अ.र.

श्रीमती बुद्धन उर्फ मानवती पुत्री स्व० रामसाद ब्रा० पत्नी शोभनाथ ब्रा०

(निवासी ग्राम झलवार, हाल मुकाम रुंगवा, तह० अमरपाटन जिला सतना

-----आवेदिका

अरवि 4/4/18
8-8-18 मण्डल

17-8-18

बनाम

8-8-18

01- रामानन्द तिवारी तनय । मृतक । जरिये वारिसान - लोढ़ी निवासी

हाल निवास अम्बा, तह० हुजूर, जिला रीवा, मण्डल.

02- सम्य लाल तिवारी तनय अनुसूइया प्रसाद तिवारी

03- हीरामणि तिवारी तनय अनुसूइया प्रसाद तिवारी

04- रविशंकर तिवारी तनय हीरामणि तिवारी

05- रामाधार तनय ग्यादीन

06- रामाश्रय तनय ग्यादीन

07- बृजशंकर तिवारी तनय लालमणि तिवारी

08- राजेन्द्र तिवारी तनय लालमणि तिवारी

09- सामवेत तिवारी तनय रामायण प्रसाद तिवारी

सभी निवासीगण झलवार, तह० रामपुर बघेलान जिला सतना, मण्डल.

-----अनावेदकगण

निकरानी अंतर्गत धारा 50 मण्डल भू० रा० सं० 1959

विरुद्ध आदेश नायव तहसीलदार वृत्त छिबौरा तह०

रामपुर बघेलान जिला सतना. के प्रक० क्र० 59/अ-74/

10.05.018 स्व

16-17 जो आदेश दिनांक 10.07.018 मे पारित ।
एतु नामांतरण पंजी दिनांक 24.11.014 वर्ष 14-15
को निरस्त किए जाने ।

मान्यवर,

निकरानी के आधार निम्नलिखित है :-

निरंतर...

21.1

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4802/2018/सतना/भूरा.

बुटन विरुद्ध रामानन्द

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील रामपुर बलेघान के प्रकरण क्रमांक 59/अ-74/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 10-05-2018 एवं 10-07-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।</p>	<p>(बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>

124